

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,

सचिव (प्रभारी),

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

संस्कृति निदेशालय,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, धर्मस्व, तीर्थाटन प्रबन्धन एवं धार्मिक मेला अनुभाग: देहरादून: दिनांक: ०९ फरवरी, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्रथम अनुपूरक मांग द्वारा प्राविधानित बजट की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2298/सं0नि0उ0/दो-3/2017-18 दिनांक 26.12.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से संस्कृति विभाग के अन्तर्गत विभिन्न इकाईयों हेतु प्राविधानित बजट के सापेक्ष अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत रू0 8444.00 हजार (रू0 चौरासी लाख चवालीस हजार) मात्र की धनराशि संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है:-

- (i) उक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0-610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30.06.2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ii) मितव्ययी मदों में व्यय आवंटित सीमा तक ही सीमित रखा जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।
- (iii) व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

- 3- उक्त धनराशि का भुगतान वास्तविक व्यय एवं संगत वित्तीय मानकों के प्राविधानानुसार ही किया जायेगा।
- 4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2205- के संगत मानक मदों के संलग्न विवरणानुसार आयोजनागत पक्ष से वहन किया जायेगा।
- 5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-155(म0)/XXVII(3)2017-18 दिनांक 01 फरवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

**संलग्नक-यथोपरि।**

भवदीय

(दिलीप जावलकर)  
सचिव (प्रभारी)

**संख्या-27 /VI/2018-71(04)2017 तददिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, देहरादून।
- 2- वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
- 3- वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 5- एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी0एस0 भाकुनी)  
उप सचिव

(क) 2205-कला एवं संस्कृति-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-सांस्कृतिक कार्य निदेशालय-

(धनराशि हजार रू0 में)

मानक मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बजट का आवंटन
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	700
<b>योग-</b>	<b>700</b>

(ख) 2205-कला एवं संस्कृति-00-101-ललित कला शिक्षा-03-भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय-00-

(धनराशि हजार रू0 में)

मानक मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बजट का आवंटन
01-वेतन	1800
03-मंहगाई भत्ता	611
06-अन्य भत्ते	200
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1140
<b>योग-</b>	<b>3751</b>

(ग) 2205-कला एवं संस्कृति-00-103-पुरातत्व विज्ञान-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-0101-पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 का कार्यान्वयन (50 प्रतिशत के0स0)-00-

(धनराशि हजार रू0 में)

मानक मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बजट का आवंटन
01-वेतन	200
03-मंहगाई भत्ता	100
06-अन्य भत्ते	75
<b>योग-</b>	<b>375</b>

(घ) 2205-कला एवं संस्कृति-00-103-पुरातत्व विज्ञान-03-पुरातत्व अधिष्ठान-00-

(धनराशि हजार रू० में)

मानक मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बजट का आवंटन
01-वेतन	830
03-मंहगाई भत्ता	200
06-अन्य भत्ते	125
<b>योग-</b>	<b>1155</b>

(ङ.) 2205-कला एवं संस्कृति-00-104-अभिलेखागार-03-राज्य अभिलेख-00-

(धनराशि हजार रू० में)

मानक मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बजट का आवंटन
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	120
<b>योग-</b>	<b>120</b>

(च) 2205-कला एवं संस्कृति-00-107-संगहालय-03-अधिष्ठान व्यय-00-

(धनराशि हजार रू० में)

मानक मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बजट का आवंटन
01-वेतन	1523
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	820
<b>योग-</b>	<b>2343</b>
<b>महायोग-</b>	<b>8444</b>

आज्ञा से,

(जी०एस० भाकुनी)

उप सचिव